



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या - 376 राँची, गुरुवार, 21 ज्येष्ठ, 1948 (श०)  
11 जून, 2026 (ई०)

---

#### महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

-----

संकल्प

16 सितम्बर, 2019

**विषय:-** केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत संचालित "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना" के मार्ग-निर्देश में संशोधन की स्वीकृति ।

**ज्ञापांक:-03/म०स०/पें०यो०-67/2019-2214--**ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर लक्ष्य निर्धारित किया जाता है ।

वर्तमान में राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे 18 से 79 आयु वर्ग के ग्रामीण क्षेत्र में 7,995/- रु० तथा शहरी क्षेत्र में 9,974/- रु० तक की वार्षिक आय वाले दिव्यांगजनों को (जो गरीबी रेखा से नीचे हैं) को इस योजना के तहत संशोधित संकल्प ज्ञापांक06/सा०सु० (राज्य पेंशन)-1047/2013-07 श्र०नि०, दिनांक-09.01.2014 के आलोक में लाभ प्रदान किया जाता है ।

- सम्यक विचारोपरान्त राज्य में संचालित केन्द्र प्रायोजित "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (18 से 79 आयु वर्ग के लिए)" की संशोधित संकल्प को विलोपित करते हुए निम्नरूपेण नयी मार्ग-दर्शिका की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

## 2.1 उद्देश्य-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 के आलोक में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे असहाय दिव्यांगजनों जिनके पास उनकी खुद की आय भरण-पोषण के लायक नहीं है या भरण पोषण के लिए काफी कम पड़ती है या उनके परिवार के सदस्यों या अन्य श्रोतों से काफी कम वित्तीय सहायता मिलती है, को लक्षित किया गया है। इसी वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना है।

## 2.2 योजना का स्वरूप -

इस योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत "राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दिशा-निर्देश" एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राज्य के योग्य लाभुकों को ₹-1,000/- (एक हजार रुपये) प्रतिमाह प्रति लाभुक की आर्थिक सहायता बैंक खाते में ABPS/PFMS के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

## 2.3 लाभार्थी हेतु पात्रता-

- i. आवेदक (पुरुष/स्त्री) की उम्र 18 वर्ष अथवा इससे अधिक हो।
- ii. आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार की सूची में होना चाहिए।
- iii. आवेदक भारत सरकार के मानदंड के अनुसार "Suffering from severe or multiple disabilities हो। कंडिका-iv में "Disability" एवं "Multiple disability" परिभाषित है एवं कंडिका-v में "Severe disability" परिभाषित है।

- iv. Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के Section-2 (zc) के अनुसार:-

"specified disability" means the disabilities as specified in the Schedule;

SCHEDULE[See clause(zc) of section 2]के अनुसार SPECIFIED DISABILITY:-

A. Locomotor disability (a person's inability to execute distinctive activities associated with movement of self and objects resulting from affliction of musculoskeletal or nervous system or both), including-

(a) "leprosy cured person" means a person who has been cured of leprosy but is suffering from-

(i) loss of sensation in hands or feet as well as loss of sensation and paresis in the eye and eye-lid but with no manifest deformity;

(ii) manifest deformity and paresis but having sufficient mobility in their hands and feet to enable them to engage in normal economic activity;

(iii) extreme physical deformity as well as advanced age which prevents him/her from undertaking any gainful occupation, and the expression "leprosy cured" shall construed accordingly;

(b) "cerebral palsy" means a Group of non-progressive neurological condition affecting body movements and muscle coordination, caused by damage to one or more specific areas of the brain, usually occurring before, during or shortly after birth;

(c) "dwarfism" means a medical or genetic condition resulting in an adult height of 4 feet 10 inches (147centimetres) or less;

(d) "muscular dystrophy means a group of hereditary genetic muscle disease that weakens the muscles that move the human body and persons with multiple dystrophy have incorrect and missing information in their genes, which prevents them from making the proteins they need for healthy muscles. It is

characterised by progressive skeletal muscle weakness, defects in muscle proteins, and the death of muscle cells and tissue;

- (e) "acid attack victims" means a person disfigured due to violent assaults by throwing of acid or similar corrosive substance.

B. Visual impairment-

- (a) "blindness" means a condition where a person has any of the following conditions, afterbest correction-

- (i) total absence of sight, or
- (ii) visual acuity less than 3/60 or less than 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible correction; or
- (iii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 10 degree.

- (b) "low-vision" means a condition where a person has any of the following conditions, namely:-

- (i) visual acuity not exceeding 6/18 or less than 20/60 upto 3/60 or upto 10/200 (Snellen) in the better eye with best possible corrections; or
- (ii) limitation of the field of vision subtending an angle of less than 40 degree up to 10 degree.

C. Hearing impairment-

- (a) "deaf" means persons having 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

- (b) "hard of hearing" means person having 60 DB to 70 DB hearing loss in speech frequencies in both ears;

- D. "speech and language disability" means a permanent disability arising out of conditions such as laryngectomy or aphasia affecting one or more components of speech and language due to organic or neurological causes.

- 2. Intellectual disability, condition characterised by significant limitation both in Intellectual functioning (reasoning, learning, problem solving) and in adaptive behaviour which covers a range of every day, social and practical skills, including-

- (a) "specific learning disabilities" means a heterogeneous group of conditions wherein there is a deficit in processing language, spoken or written, that may manifest itself as a difficulty to comprehend, speak, read, write, spell, or to do mathematical calculations and includes such conditions as perceptual disabilities, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia and developmental aphasia;

- (b) "autism spectrum disorder" means a neuro-developmental condition typically appearing in the first three years of life that significantly affects a person's ability to communicate, understand relationships and relate to others, and is frequently associated with unusual or stereotypical rituals or behaviours.

3. Mental behaviour,-

"mental illness" means a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behaviour, capacity to recognise reality or ability to meet the ordinary demands of life, but does not include retardation which is a condition of arrested or incomplete development of mind of a person, specially characterised by sub normality of intelligence.

4. Disability caused due to-

- (a) chronic neurological conditions, such as-

- (i) "multiple sclerosis" means an inflammatory, nervous system disease in which the myelin sheaths around the axons of nerve cells of the brain and spinal cord are damaged, leading to demyelination and affecting the ability of nerve cells in the brain and spinal cord to communicate with each other;
- (ii) "parkinson's disease" means a progressive disease of the nervous system marked by tremor, muscular rigidity, and slow, imprecise movement, chiefly affecting middle-aged and elderly people associated with degeneration of the basal ganglia of the brain and a deficiency of the neurotransmitter dopamine.
- (b) Blood disorder-
  - (i) "haemophilia" means an inheritable disease, usually affecting only male but transmitted by women to their male children, characterised by loss or impairment of the normal clotting ability of blood so that a minor wound may result in fatal bleeding;
  - (ii) "thalassemia" means a group of inherited disorders characterised by reduced or absent amounts of haemoglobin.
  - (iii) "sickle cell disease" means a hemolytic disorder characterised by chronic anemia, painful events, and various complications due to associated tissue and organ damage; "haemolytic" refers to the destruction of the cell membrane of red blood cells resulting in the release of haemoglobin.
- 5. Multiple Disabilities (more than one of the above specified disabilities) including deaf blindness which means a condition in which a person may have combination of hearing and visual impairments, causing severe communication, developmental, and educational problems.
- 6. Any other category as may be notified by the Central Government
- v. National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and multiple Disabilities Act, 1995 (National Trust Act 1999) के अनुसार Severe Disability का अर्थ निम्न है:-

#### Section-2(0)-

- "severe disability" means disability with eighty percent or more of one or more multiple Disabilities
- vi. इस योजना के तहत कंडिका-iv अन्तर्गत आच्छादित व्यक्तियों को उक्त योजना का लाभ भी मिलेगा जब वे कंडिका-v के तहत भी आच्छादित होंगे।
  - vii. परिवार के पास कंडिका-2.5 में वर्णित 14 बहिष्कार मानदंडों में से कोई नहीं हो। आवेदक को इससे संबंधित घोषणा पत्र विहित प्रपत्र में देना अनिवार्य होगा।
  - viii. जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड राँची द्वारा संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (60-79 आयु वर्ग के लिए एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (पूर्व में राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना), मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना (पूर्व में आदिम जनजाति पेंशन योजना), मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना (पूर्व में राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना), मुख्यमंत्री राज्य HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायता पेंशन योजना (पूर्व में HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन योजना), एवं स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना में से किसी का लाभ मिल रहा है, उन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ देय नहीं होगा।

- ix. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों को ऊपर वर्णित किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ देय नहीं होगा।
- x. कंडिका 2.3 (i) से (vii) में वर्णित पात्रता संकल्प जारी होने की तिथि के बाद जिन लाभुकों का चयन होगा उनपर लागू होगी।
- xi. संकल्प सं०-06/ सा०सु० (राज्य पेंशन)- 1047/2013-07 श्र०नि०, दिनांक 09.01.2014 अथवा उसके पूर्व इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में जो भी संकल्प निर्गत हुए हैं उनके अन्तर्गत जिन लाभुकों का नियमानुसार चयन किया गया है वो पूर्ववत योजना के तहत लाभ प्राप्त करते रहेंगे। उक्त चयनित लाभुकों के संबंध में कंडिका 2.3 (i) से (vii) लागू नहीं होगी।

#### 2.4 आवेदन प्रक्रिया -

आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी के कार्यालय में विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित करेंगे, जिसके साथ निम्न प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करनी आवश्यक होंगी:-

- i. झारखण्ड राज्य में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार की सूची में सम्मिलित होने संबंधी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।
- ii. मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति।
- iii. आधार-कार्ड की छायाप्रति अथवा आधार कार्ड नहीं होने पर इस आशय का स्वघोषणा पत्र।
- iv. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति ।
- v. बैंक खाता का पासबुक की छायाप्रति।
- vi. कंडिका 2.5 का घोषणा पत्र।

#### 2.5 आवेदक को निम्न बिन्दुओं के नहीं होने संबंधी घोषणा पत्र आवेदन पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा:-

- (i) मोटर चलित दोपहिया/तिपहिया/चार पहियों वाले वाहन/मछली पकड़ने वाली नावधारक परिवार।
- (ii) मशीन चलित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण धारक परिवार।
- (iii) 50 हजार या उस से अधिक मानक सीमा के किसान क्रेडिट कार्ड धारक परिवार।
- (iv) सरकारी सेवक वाले किसी परिवार के सदस्य।
- (v) सरकार के पंजीकृत गैर-कृषि उद्योग वाले परिवार।
- (vi) परिवार का कोई भी सदस्य 10,000 रुपये एवं उस से अधिक कमाता है।
- (ज) आयकर अदा करने वाले परिवार।
- (vii) सेवा कर अदा करने वाले परिवार।
- (ix) सभी कमरों की पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरे धारक परिवार। (PMAY & IAY के लाभुकों के लिए लागू नहीं होगी)
- (x) रेफ्रिजरेटर धारक परिवार।
- (xi) लैंडलाइन फोन धारक परिवार।
- (xii) कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ एवं उस से अधिक सिंचित भूमि धारक परिवार।
- (xiii) दो या उससे अधिक फसल के भौसम के लिए 5 एकड़ अथवा उससे अधिक सिंचित भूमि धारक परिवार।
- (xiv) कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 7.5 एकड़ एवं उस से अधिक भूमि धारक परिवार।

**2.6 कार्यान्वयन प्रक्रिया-**

- i. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अचल अधिकारी पेंशन संबंधी आवेदनों के स्वीकृति पदाधिकारी होंगे।
- ii. ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अचल अधिकारी द्वारा आवेदन NSAP-PPS Portal पर Online अथवा offline (हार्ड कॉपी) प्राप्त किया जायेगा।
- iii. प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अचल अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों से जाँच करायी जाएगी।
- iv. उनकी अनुशंसा के आधार पर प्रखण्ड/अचल को आवंटित लक्ष्य के अनुरूप Online स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अचल अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।
- v. स्वीकृत करने के पश्चात लाभुकों को सूचित किया जायेगा।
- vi. संबंधित सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कांसांग द्वारा NSAP-PPS Portal पर प्रविष्ट लाभुकों के आधार पर प्रतिमाह कोषागार से राशि की निकासी कर ABPS/PFMS के माध्यम से लाभुक के बैंक खाते में भुगतान की जायेगी। आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा Centralised Payment भी किया जा सकता है।

**2.7 लाभुकों का वार्षिक सत्यापन -**

- i. इस योजनान्तर्गत सभी लाभुकों का वार्षिक सत्यापन ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अचल अधिकारी द्वारा करायी जायेगी।
- ii. विभाग इस संबंध में लाभुक से प्रज्ञा केन्द्र/अन्य माध्यम से निर्गत जीवन प्रमाण-पत्र की मांग कर सकता है।

**2.8 लाभार्थी का नाम विलोपित करने की प्रक्रिया -**

- i. ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अचल अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर नाम विलोपित किया जायेगा।
- ii. लाभार्थी का नाम विलोपित किये जाने से निम्न आधार होंगे-
  - (क) लाभार्थी की मृत्यु होने की स्थिति में।
  - (ख) लाभार्थी अपने पते पर एक वर्ष से अधिक समय से नहीं रह रहा हो।
  - (ग) चयन के समय जो अहर्ता निर्धारित थी, वास्तव में लाभार्थी उसकी अहर्ता नहीं रखता हो।
  - (घ) इस योजना के लाभार्थी इस योजना के अतिरिक्त अन्य पेंशन योजना यथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (60-79 आयु वर्ग के लिए एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना (पूर्व में राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना), मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना (पूर्व में आदिम जनजाति पेंशन योजना), मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना (पूर्व में राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना), मुख्यमंत्री राज्य HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना (पूर्व में HIV/AIDS पीड़ित व्यक्तियों के लिए राज्य सुरक्षा पेंशन योजना) एवं स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना में से किसी का भी लाभ ले रहा हो।
- iii. उपरोक्त कंडिका-2.8 (ii) के (ग) एवं (घ) के आधार पर लाभुक के अयोग्य पाये जाने पर ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अचल अधिकारी द्वारा लाभुक को कम से कम 15 दिन का नोटिस निर्गत किया जायेगा। नोटिस निर्गत होने के पश्चात् प्राप्त आपत्ति (यदि कोई हो तो) के निराकरणोपरांत नाम विलोपित करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

- iv. उपरोक्त कंडिका-2.8 (ii) के (क) एवं (ख) के आधार पर लाभार्थियों की स्वीकृत सूची सेनाम विलोपित किये जाने के लिए प्रस्तावित/चिन्हित व्यक्तियों की सूची, विलोपन के कारण के साथ ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र में अंचल कार्यालय में सूचना पट्ट पर एक माह तक प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी एक-एक प्रति संबंधित पंचायत कार्यालय/नगर निकाय को प्रेषित की जायेगी। सूचना पट्ट पर प्रदर्शन के पश्चात् प्राप्त आपत्ति (यदि कोई हो तो) के निराकरणोपरांत नाम विलोपित करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
  - v. कोई भी इच्छुक व्यक्ति पेंशन संबंधी दावों एवं आपत्तियों के संबंध में अपना आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी को दे सकता है।
  - vi. प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों की स्वीकृत सूची से विलोपित किये गये नामों की सूची अलग से ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र में अंचल कार्यालय में संधारित की जायेगी। इस सूची की प्रति संबंधित पंचायत कार्यालय/नगर निकाय अनुमंडल कार्यालय, उप विकास आयुक्त का कार्यालय एवं जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को भी प्रेषित की जायेगी।
- 2.9 लाभुकों का सामाजिक लेखा परीक्षा-
- i. इस योजनान्तर्गत सभी लाभुकों का सामाजिक लेखा परीक्षा वर्ष में दो बार किया जायेगा।
- 2.10 अपील की प्रक्रिया -
- i. ग्रामीण क्षेत्र में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अंचल अधिकारी के पेंशन संबंधी किसी भी निर्णय के विरुद्ध अनुमंडल पदाधिकारी प्रथम अपीलीय पदाधिकारी होंगे।
  - ii. अनुमंडल पदाधिकारी के पेंशन संबंधी किसी भी निर्णय के विरुद्ध जिले के उप विकास आयुक्त, पुर्नरावलोकन पदाधिकारी होंगे।
  - iii. प्रथम अपीलीय पदाधिकारी एवं पुर्नरावलोकन पदाधिकारी पेंशन संबंधी ऐसे प्राप्त आवेदनों का निष्पादन, आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर सुनिश्चित करेंगे।
- 2.11 अन्यान्य -
- i. इस मार्ग-निदेश के निर्गत होने की तिथि से इस विषयक पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापक-06/ सा०सु०(राज्य पेंशन)-1047/2013/07श्र०नि०, दिनांक- 09.01.2014 विलोपित समझा जायेगा।
  - ii. नई मार्ग-दर्शिका संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।
  - iii. निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड द्वारा उपलब्ध बजट उपबंध के आलोक में सभी जिलों के लिए लाभुकों का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।
  - iv. सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा निदेशक, सामाजिक सुरक्षा झारखण्ड से आवंटित लक्ष्य के आलोक में जिला के सभी प्रखण्ड/अंचल के लिए लाभुकों का लक्ष्य निर्धारित किया जायेगा।
  - v. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के स्वीकृति पदाधिकारी, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप ही पेंशन से संबंधित आवेदन पत्रों की स्वीकृति सुनिश्चित करेंगे।
  - vi. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के सभी लाभुकों की सूची ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय, शहरी क्षेत्र में वार्ड एवं अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग एवं उप विकास आयुक्त के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी।
  - vii. इसकी प्रति संबंधित क्षेत्र के पंचायत/नगर निकाय/स्थानीय विधायक/स्थानीय सांसद को वर्ष में एक बार उपलब्ध करायी जायेगी।

viii. संबंधित क्षेत्र के प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी अपने क्षेत्र अन्तर्गत लाभुकों की सूची शुद्धता के पूर्ण उत्तरदायी होंगे।

3. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत आच्छादित लाभुकों को निम्नरूपेण पेंशन भुगतान किया जा रहा है-

| क्र० | योजना का नाम                                | केन्द्रांश | राज्यांश  | कुल        |
|------|---------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 1    | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना | रु०-300/-  | रु०-700/- | रु०-1000/- |

4. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से.

**अमिताभ कौशल,**  
सरकार के सचिव।

-----